<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मनोज शर्मा पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज शर्मा, केजे-100 कवी नगर, गाजियाबाद ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**027 / 14, 05.05.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मनोज कुमार शर्मा ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री मनोज शर्मा पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज शर्मा, केजे-100 कवी नगर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05.05.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ‘‘ PIPED NATURAL GAS (PNG) ’’ पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मनोज कुमार शर्मा उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि मेसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से ईंधन के रूप में गैस की खरीद की जाती है । इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जाती है । उनके द्वारा कहा गया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-04 / 2009 M/s Central U.P. Gas Ltd., VII floor, UPSIDC Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur के वाद में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2010 में यह व्यवस्था दी गयी है कि Piped Natural Gas, Natural Gas से निर्माण के माध्यम से प्राप्त की जाती है और दोनों भिन्न वस्तुएं हैं तथा PNG किसी शेड्यूल में वर्गीकृत न होने के कारण 12.5% की दर से करयोग्य है और अनुरोध किया गया कि तदनुसार इस पर 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की जाये । सुनवाई के समय PNG की टेस्ट रिपोर्ट भी दाखिल की गयी ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV के क्रमांक-8 (a), 8 (b) व 8 (c) की प्रविष्टि में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के अतिरिक्त सभी प्रकार की नेचुरल गैस को सम्मिलित किया गया है । THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD ACT, 2006 की 2 (za) में ‘‘ natural gas ’’ की परिभाषा दी गयी है, जिसके अनुसार PNG एव CNG दोनों ही नेचुरल गैस में समाहित हैं । THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD ACT, 2006 में जारी नेटिफिकेशन संख्या-GSR 196 (E) दिनांक 19.03.2008 से धारा 2 (l) (i) में Piped Natural Gas (PNG) को परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार PNG पाइप लाइन से परिवहित नेचुरल गैस है । यह भी कहा गया कि प्रार्थना-पत्र संख्या-04 / 09 सर्वश्री सेन्ट्रल यू0 पी0 गैस लिमिटेड, VII तल, UPSIDC Complex, A-1 / 4, लखनपुर, कानपुर में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के निर्णय दिनांक 29.03.2010 में नेचुरल गैस की परिभाषा पर विचार नहीं किया गया है । अत: Piped Natural Gas पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (a), 8 (b) व 8 (c) के अन्तर्गत करदेयता

....2

होनी चाहिए ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया । प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा PNG पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर के विषय में जिज्ञासा व्यक्त गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

(1) भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित The Petroleum And Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act No.19 of 2006) की धारा-2(za) में " नेचुरल गैस " को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है -

" natural gas" means gas obtained from bore-holes and consisting primarily of hydrocarbons and includes-

(i) gas in liquid state, namely, liquefied natural gas and regasified liquefied natural gas,

(ii) compressed natural gas,

(iii) gas imported through transnational pipe lines, including CNG or liquefied natural gas,

(iv) gas recovered from gas hydrates as natural gas,

(v) methane obtained from coal seams, namely, coal bed methane,

but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons ;

उक्त से स्पष्ट है कि Compressed Natural Gas (CNG) तथा Piped Natural Gas (PNG) दोनों ही "नेचुरल गैस " की उपरोक्तानुसार परिभाषित परिधि में समाहित हैं ।

(2) The Petroleum And Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act No.19 of 2006) की धारा-61 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रख्यापित Notification No. G.S.R. 196 (E) Dated 19th March, 2008 की धारा 2(1)(i) में Piped Natural Gas (PNG) को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है -

" piped natural gas " (hereinafter referred to as PNG) means natural Gas transported through pipelines in a CGD network for consumption by any customer in domestic, commercial or industrial segments and includes natural gas supplied to an online CNG station before its compression ."

उपर्युक्त परिभाषा के निम्न तीन Ingredients स्पष्ट होते हैं :-

(i) Piped Natural Gas (PNG) means natural Gas transported through pipelines in a CGD network

(ii) for consumption by any customer in domestic, commercial or industrial segments

(iii) and includes natural gas supplied to an online CNG station before its compression

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि PNG का तात्पर्य ऐसी नेचुरल गैस से है जो CGD network में पाइपलाइन के माध्यम से डोमेस्टिक, कॉमर्शियल या इण्डस्ट्रियल सेगमेंट में किसी भी उपभोक्ता के उपयोगार्थ ट्रासंपोर्ट की जाती है । इसमें वो नेचुरल गैस भी समाहित है जो कम्प्रैशन के पूर्व CNG स्टेशन

....3

को सप्लाई की जाती है। **अतः यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि PNG वास्तव में नेचुरल गैस है।**

(3) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV में क्रमांक-8 (a), 8 (b) तथा 8 (c) पर निम्न प्रविष्टि अंकित है -

Sl. No.	Name and description of goods	Point of Tax	Rate of Tax
1	2	3	4
8(a)	Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) when sold to an industrial unit of a registered dealer for use in the process of manufacture of taxable goods other then non vat goods against certificate prescribed by the Commissioner .	M or I	5%
8(b)	Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) when sold to registered dealer for use in the process of manufacture by an industrial unit situated in Taj Trapezium Area against Certificate prescribed by the Commissioner .	M or I	5%
8(c)	Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) in cases other than those described in serial no. 8(a) and 8(b)	M or I	21%

उपर्युक्त प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रविष्टि द्वारा नेचुरल गैस की परिधि से केवल Compressed Natural Gas (CNG) को ही exclude किया गया है। अर्थात यदि यह exclusion न किया जाता तो Compressed Natural Gas (CNG) भी इसी प्रविष्टि में समाहित होती क्योंकि वह भी नेचुरल गैस की परिधि में समाहित है। इससे Legislature की मंशा एकदम स्पष्ट हो जाती है। उपर्युक्त प्रविष्टि की Plain Reading से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रविष्टि में से केवल Compressed Natural Gas (CNG) को ही exclude किया गया है, अन्य किसी प्रकार की नेचुरल गैस को इससे exclude नहीं किया गया है अर्थात Piped Natural Gas (PNG) को इससे exclude नहीं किया गया है। इस प्रकार PNG (Piped Natural Gas) पर करदेयता

....4

इसके उपर्युक्त अनुसूची-IV की प्रविष्टि में समाहित होने के कारण तदनुसार ही होगी क्योंकि इसे उपर्युक्त प्रविष्टि में CNG की तरह नेचुरल गैस से exclude नहीं किया गया है।

(4) जहाँ तक प्रार्थना-पत्र सं0 04 / 09 सर्वश्री सेन्ट्रल यू0 पी0 गैस लिमिटेड, VII तल, UPSIDC Complex, A-1 / 4, लखनपुर, कानपुर में पूर्व पारित धारा-59 के आदेश दिनांक 29.03.2010 का सम्बन्ध है, इनके परिशीलन से स्पष्ट है कि इन निर्णय में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित The Petroleum And Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act No.19 of 2006) की धारा-2(za) में प्रदत्त " नेचुरल गैस " की परिभाषा तथा The Petroleum And Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act No.19 of 2006) की धारा-61 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रख्यापित Notification No. G.S.R. 196 (E) Dated 19th March, 2008 की धारा 2(1)(i) में प्रदत्त Piped Natural Gas (PNG) की परिभाषा पर विचारण नहीं हुआ था। साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV में क्रमांक-8 (a), 8 (b) तथा 8 (c) पर वर्णित उपर्युक्त प्रविष्टि का भी विश्लेषण नहीं हुआ था।

(5) अत: समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रकरण के धारा-59 के प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि पी0एन0जी0 वस्तुत: नेचुरल गैस है और तदनुसार यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV में वर्णित नान-वैट गुड्स में समाहित है तथा इस पर नेचुरल गैस के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रविष्टि संख्या-8 (a), 8 (b) तथा 8 (c) में अवधारित करदेयता के अनुसार ही करदेयता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20 जून, 2014

ह0 / 20.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।